

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर, रायपुर

कमांक एफ 4-34/सात-1/2021 नया रायपुर, अटलनगर, दिनांक 10/11/2022
प्रति,

समस्त कलेक्टर

छत्तीसगढ़।

विषय:- वृक्ष कटाई के नियम, 2022 में संशोधन के संबंध में ।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 16/2/2022

---000---


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। “वृक्ष कटाई के नियम, 2022” में संशोधन संबंधी जारी अधिसूचना कमांक एफ 4-34/2021/सात-1 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 प्रकाशित छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) कमांक 645-अ दिनांक 09 नवम्बर, 2022 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(उमेश कुमार पटेल)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


पृ0कमांकएफ 4-34/सात-1/2021 नया रायपुर, अटलनगर, दिनांक 10/11/2022
प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर की ओर उनकी जावक टीप कमांक 12044 दिनांक 09/11/2022 के संदर्भ में छ.ग.राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 09/11/2022 की प्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।

3/ राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड कराने हेतु ।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 645-अ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 नवम्बर 2022 — कार्तिक 18, शक 1944

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 नवम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-34/2021/सात-1. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (फ. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, वृक्ष कटाई के नियम, 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

जहां कहीं भी शब्द “अनुशंसा” आया हो, के स्थान पर, शब्द “अनुमति” प्रतिस्थापित किया जाए।

No. F 4-34/2021/Seven-1. — In exercise of the powers conferred by clauses (ix) and (xii) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 240 and 241 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Rules of Felling of Trees, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the said Rules,-

for the word, “Recommendation”, wherever they occur, the word “Permission” shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव

1290 (1)